ए.

शंभू खरवार

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1231)

बी.

12 अगस्त, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता 1860:एसएस।376, 375 – बलात्कार के लिए सजा-एस की आवश्यक सामग्री।375 – तथ्यों पर, विवाह के बहाने अपीलार्थी-पुरुष के खिलाफ दूसरी प्रतिवादी-महिला द्वारा बलात्कार का आरोप-दंडनीय अपराध के लिए दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग करने वाला अपीलार्थी द्वारा आवेदन।376 – उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:पक्षकारों-अपीलार्थी और दूसरे प्रत्यर्थी के बीच संबंध विशुद्ध रूप से सहमति प्रकृति के-वे दोनों शिक्षित वयस्क हैं-अपीलार्थी के साथ दूसरे प्रत्यर्थी का संबंध दूसरे प्रत्यर्थी के विवाह से पहले अस्तित्व में था और विवाह की अवधि के दौरान और दूसरे प्रत्यर्थी को आपसी सहमति से तलाक दिए जाने के बाद भी बना रहा-इस प्रकार, यू/एस के तहत अपराध के आवश्यक तत्व।376 नहीं बनाया गया-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया और आवेदन यू/एस।482 सी. आर. पी. सी. की अनुमति है।

सी.

डी.

ई.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:**1.1** तत्काल मामले में**,** स्वीकार्य रूप से**,** अपीलार्थी और दूसरा प्रत्यर्थी **2013** से दिसंबर **2017** तक सहमति के संबंध में थे।वे दोनों शिक्षित वयस्क हैं।इस अवधि के दौरान**,** दूसरे प्रत्यर्थी ने **12** जून **2014** को किसी और से शादी कर ली।विवाह **17** सितंबर

2017 को आपसी सहमति से तलाक के फरमान में समाप्त हुआ।इस पृष्ठभूमि में और शिकायत में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा **376** के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को एफ. आई. आर. या आरोप पत्र में खोजना असंभव है। जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि क्या आरोप इंगित करते हैं कि अपीलार्थी ने दूसरे प्रत्यर्थी से शादी करने का वादा किया था जो शुरुआत में गलत था और जिसके आधार पर दूसरे प्रत्यर्थी को यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया गया था।लेना।

एफ.

जी.

एच.

156 ए.

157

शंभू खरवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

एफ. आई. आर. और आरोप पत्र में लगाए गए आरोप, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा **375** के तहत अपराध के महत्वपूर्ण तत्व अनुपस्थित हैं।दोनों पक्षों के बीच संबंध विशुद्ध रूप से सहमति की प्रकृति के थे।यह संबंध, दूसरे प्रत्यर्थी की शादी से पहले अस्तित्व में था और शादी की अवधि के दौरान जारी रहा और दूसरे प्रत्यर्थी को आपसी सहमति से तलाक दिए जाने के बाद।**[**पारस **12,13] [163-**सी**-**डी**,** एफ**-**जी**]**

बी.

1.2 उच्च न्यायालय ने केवल यह कहा कि विवाद तथ्य का सवाल उठाता है जिस पर दंड प्रक्रिया भारतीय दण्ड संहिता की धारा **482** के तहत आवेदन में विचार नहीं किया जा सकता है। तथ्यों से संकेत मिलता है कि आई. पी. सी. की धारा **376** के तहत अपराध के तत्व साबित नहीं किए गए थे।इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से गलत धारणा के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के तहत आवेदन को खारिज कर दिया। आवेदन यू/एस **482** में उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **482** के तहत आवेदन तदनुसार स्वीकृत होगा। **[**पारस **14,15] [163-**जी**-**एच**; 164-**ए**-**सी**]**

सी.

डी.

नीहरिका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2021)** एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. **325;** आर. पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य

आकाशवाणी 1960 एससी 866:[1960] एस. सी. आर. 388; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) 1 पूरक।एससीसी 335:[1990] 3 पूरक।

ई.

एस**.** सी**.** आर**. 259;** ध्रुवरम मुरलीधर सोनार बनाम राज्य

महाराष्ट्र (2019) 18 एस. सी. सी. 191; प्रमोद सूर्यभान

पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2019) 9** एससीसी **608:[2019] 11** एस**.** सी**.** आर**. 423;** सोनू @सुभाष कुमार बनाम राज्य

उत्तर प्रदेश (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 181-निर्दिष्ट।

एफ.

मामला कानून संदर्भ

[1960] एससीआर **388**

पैरा **7 [1990] 3** का उल्लेख किया गया है।पैरा **7 (2019) 18** एस**.** सी**.** सी**. 191** में संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 259**

जी.

पैरा **9** को संदर्भित किया गया

[2019] 11 एससीआर **423**

पैरा **11** को संदर्भित किया गया

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1231।

एच.

ए.

2018 की धारा 482 संख्या 33999 के तहत आवेदन में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेशों से।

रामजी पांडे, उदय प्रकाश, राघवेंद्र शुक्ला, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

बी.

मोहित डी. राम, सुश्री मोनिशा हांडा, राजुल श्रीवास्तव, अनुभव शर्मा, सुश्री सृष्टि सिंह, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सी.

1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. छुट्टी दे दी गई।

3. अपील इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 5 अक्टूबर 2018 के एक फैसले से उत्पन्न होती है।उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त न्यायालय में 2018 के आपराधिक मामला संख्या 785 को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1 की धारा 482 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम), बलिया भारतीय दंड संहिता 1860 2 की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए जिला बलिया के पुलिस स्टेशन रसरा में दर्ज 2018 के मामला अपराध संख्या 11 से उत्पन्न हुआ।अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत प्रस्तुत 23 अप्रैल 2018 के आरोप पत्र संख्या 94 वाले आरोप पत्र और 24 मई 2018 के आदेश को रद्द करने की भी मांग की थी।

डी.

ई.

4. 2018 का मामला अपराध संख्या 11 18 जनवरी 2018 को पुलिस स्टेशन रसरा, जिला बलिया में दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर दर्ज किया गया था।अपनी शिकायत में, दूसरे प्रत्यर्थी ने इस प्रकार कहाः

एफ.

“शंभू खरवार की पत्नी के रूप में मेरा शंभू खरवार के साथ संबंध था, जो गांव-सराय भारती, पोस्ट-रसाड़ा, जिला-बलिया की निवासी भी है।मैं एतद्वारा अपना बयान देता हूं कि हमारे बीच लगभग 3 साल की अवधि से प्रेम संबंध था और शंभू खरवार ने मुझे विवाह के बारे में आश्वासन दिया और इसके परिणामस्वरूप मेरे साथ एक ही छत के नीचे रहने लगे और मेरे साथ यौन संबंध भी बनाते थे।

जी.

1 “सीआरपीसी "2" आईपीसी "

एच.

159

शंभू खरवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए.

समय-समय पर एक निश्चित राशि की मांग करने के लिए उपयोग किया जाता था।लेकिन मैं हमेशा उसका पीछा करता था और आज तक मैं अविवाहित हूं और जब भी मैं उससे शादी के बारे में पूछता था, तो वह झूठे और तुच्छ दावे करता था और अंत में मुझे किसी और के साथ शादी के बारे में सूचित किए बिना वापस आ जाता था और शादी के बारे में कुछ नहीं बताता था, लेकिन मेरे द्वारा बार-बार दबाव डालने पर उसने स्वीकार किया कि उसने किसी और के साथ रिंग समारोह में प्रवेश किया है, यह जानकारी मुझे उससे ही मिली है।मैं बहुत दुखी हूं और जब भी मैंने उससे मेरे साथ शादी करने के लिए कहा, वह लंगड़े बहाने देता रहा और यह कहकर झूठा आश्वासन देता रहा कि वह उसका यौन उत्पीड़न करके उसे छोड़ देगा और उसके बाद मेरे साथ शादी कर लेगा।यह सुनने के बाद, मैंने उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है।इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि कृपया उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।शंभू खरवार, लल्लन खरवार के पुत्र, सराय भारती रसादा, बलिया दाते 18.01.2018 के निवासी हैं।"5. अनुसंधान के दौरान दूसरे प्रत्यर्थी का बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था।धारा 164 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था।धारा 164 के तहत बयान में, दूसरे प्रत्यर्थी ने कहा कि एक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण के दौरान, वह 2013 में अपीलार्थी के संपर्क में आई और उनके बीच संबंध बन गए।12 जून 2014 को, दूसरे प्रत्यर्थी की शादी किसी और के साथ संपन्न की गई थी, जिसके बावजूद अपीलार्थी के साथ संबंध जारी रहे।दूसरे प्रत्यर्थी ने कहा कि अपीलकर्ता ने उसे शादी से अलग होने के लिए मजबूर किया था और वैवाहिक घर में रहने के बमुश्किल तीन महीने बाद मार्च 2015 से उसका वैवाहिक संबंध समाप्त हो गया था।दूसरे प्रत्यर्थी का कहना है कि उसके बाद वह माता-पिता के घर लौट आई और फिर अपीलार्थी के साथ रहने लगी।2016 में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, दूसरी प्रत्यर्थी दिसंबर 2017 तक अपीलार्थी के साथ रहती रही।दूसरे प्रत्यर्थी की शिकायत थी कि अपीलार्थी की 10 दिसंबर 2017 को किसी और से सगाई हो गई थी।हालाँकि अपीलार्थी पर आरोप है कि वह अपनी सगाई तोड़ने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन वह अपने आश्वासन का पालन करने में विफल रहा।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

6. उपरोक्त कथन के अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दूसरे प्रत्यर्थी को बलिया में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के 17 सितंबर 2017 के आदेश द्वारा आपसी सहमति से तलाक दिया गया था।

एच.

7. सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले मानदंड अच्छी तरह से तय किए गए हैं और इस न्यायालय के निर्णयों की एक सुसंगत पंक्ति में दोहराए गए हैं।नीहरिका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें हममें से एक (जे. डी. वाई. चंद्रचूड़) का हिस्सा था, ने मानदंडों को दोहराया

आर. पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य **4** और हरियाणा राज्य बनाम पंजाब राज्य **4** में निर्धारित

बी.

भजन लाल 5 ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों को धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में सतर्क रहना चाहिए, लेकिन उनके पास रद्द करने की शक्ति है।परीक्षण यह है कि क्या एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करते हैं या नहीं। न्यायालय आरोपों के गुणागुण में प्रवेश नहीं करता है या किसी संज्ञेय अपराध से जुड़े आरोपों की जांच करने के लिए जांच एजेंसी की शक्ति पर दबाव नहीं डालता है।

सी.

8. भजन लाल (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने ऐसे मापदंड तैयार किए जिनके अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 में शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।हालांकि इन सभी मानकों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक कुछ मानकों को निर्धारित किया जा सकता है।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि रद्द करना उचित हो सकता हैः

डी.

“102. (1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और एफ. आई. आर. के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुसंधान को उचित ठहराती है।

ई.

एफ.

[...]

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।”

जी.

9. ध्रुवरम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य, 6

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने समान तथ्यों पर विचार करते हुए

3 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 315 4 ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 866

5 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 335 6 2019 (18) एस. सी. सी. 191 ए

एच.

161

शंभू खरवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

वर्तमान मामले ने भजन लाल (उपरोक्त) में निर्धारित मापदंडों को दोहराया कि -

“13. यह स्पष्ट है कि कार्यवाही को रद्द करने के लिए, मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने के तथ्य के सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में साक्ष्य की प्रशंसा की भी अनुमति नहीं है।अगर आरोप

बी.

शिकायत में उल्लिखित अपराध का गठन नहीं करता है जिसका संज्ञान लिया गया है**,** यह उच्च न्यायालय के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे रद्द करने के लिए खुला है।**" (**जोर दिया गया**)**

सी.

10. भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 के तहत एक अपराध दंडनीय है यदि बलात्कार का अपराध धारा 375 के संदर्भ में साबित किया जाता है जो अपराध के तत्वों को निर्धारित करता है।वर्तमान मामले में, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 90 के साथ धारा 375 का दूसरा विवरण प्रासंगिक है जो नीचे दिया गया है।

डी.

"375. बलात्कार**-**एक आदमी को "बलात्कार" करने के लिए कहा जाता है यदि वह**-[**।

निम्नलिखित सात विवरणों में से किसी के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों में

सबसे पहले।

ई.

दूसरा।– उसकी सहमति के बिना।[...]

स्पष्टीकरण 2.– सहमति का अर्थ है एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता जब महिला शब्दों, इशारों या किसी भी प्रकार के मौखिक या गैर-मौखिक संचार द्वारा, विशिष्ट यौन कार्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती हैः

एफ.

बशर्ते कि एक महिला जो शारीरिक रूप से प्रवेश के कार्य का विरोध नहीं करती है, उसे केवल उस तथ्य के कारण यौन गतिविधि के लिए सहमति नहीं माना जाएगा।

जी.

XXX

90. भय या गलत धारणा के तहत दी जाने वाली सहमति

- सहमति ऐसी सहमति नहीं है जो इस संहिता की किसी भी धारा द्वारा अभिप्रेत है, यदि सहमति किसी व्यक्ति द्वारा चोट के डर से, या तथ्य की गलत धारणा के तहत दी गई है, और यदि व्यक्ति कार्य कर रहा है।

एच.

जानता है, या विश्वास करने का कारण है कि सहमति इस तरह के डर या गलत धारणा के परिणामस्वरूप दी गई थी; या

11. प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, 7 ए

इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ जिसमें हम में से एक हिस्सा था (डी. वाई.

चंद्रचूड़ जे.), सोनू @सुभाष कुमार बनाम उत्तर राज्य में आयोजित

प्रदेश, 8 ने देखा किः“12. इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 375 के संबंध में सहमति में प्रस्तावित अधिनियम की परिस्थितियों, कार्यों और परिणामों की सक्रिय समझ शामिल है।एक व्यक्ति जो विभिन्न वैकल्पिक कार्यों (या निष्क्रियता) के साथ-साथ ऐसी कार्रवाई या निष्क्रियता से उत्पन्न होने वाले विभिन्न संभावित परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद कार्य करने के लिए एक तर्कपूर्ण विकल्प चुनता है, ऐसी कार्रवाई के लिए सहमति देता है।

बी.

सी.

[...]

14. [...] विशेष रूप से शादी करने के वादे के संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा है कि निर्माता द्वारा इस समझ पर दिए गए झूठे वादे के बीच अंतर है कि इसे तोड़ा जाएगा, और एक वादे के उल्लंघन के बीच अंतर है जो सद्भावना से किया जाता है लेकिन बाद में पूरा नहीं किया जाता है।

डी.

[...]

ई.

16. जहाँ शादी करने का वादा झूठा है और वादा करते समय निर्माता का इरादा इसका पालन करने का नहीं था, बल्कि महिला को यौन संबंधों में शामिल होने के लिए मनाने के लिए धोखा देना था, वहाँ एक "तथ्य की गलत धारणा" है जो महिला की "सहमति" को दूषित करती है।दूसरी ओर, किसी वादे के उल्लंघन को झूठा वादा नहीं कहा जा सकता है।एक झूठा वादा स्थापित करने के लिए, वादा करने वाले को उसे देते समय अपने वादे को बनाए रखने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए था।एक महिला की "सहमति"

एफ.

धारा **375** के तहत "तथ्य की गलत धारणा" के आधार पर दूषित किया जाता है**,** जहां इस तरह की गलत धारणा उक्त कार्य में शामिल होने के लिए उसके चयन का आधार थी।

जी.

[...]

18. उपरोक्त मामलों से उभरने वाली कानूनी स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए, धारा 375 के संबंध में एक महिला की "सहमति"।

7 2019 (9) एस. सी. सी. 608

एच.

8 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 181 ए

163

शंभू खरवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.] ए.

प्रस्तावित अधिनियम के प्रति सक्रिय और तर्कपूर्ण विचार-विमर्श शामिल होना चाहिए।यह साबित करने के लिए कि क्या "सहमति" को शादी करने के वादे से उत्पन्न "तथ्य की गलत धारणा" द्वारा दूषित किया गया था, दो प्रस्ताव साबित किए जाने चाहिए।विवाह का वादा एक झूठा वादा होना चाहिए, जो बुरे विश्वास में दिया गया था और जिस समय इसका पालन किया गया था, उस समय इसका पालन करने का कोई इरादा नहीं था।झूठा वादा

बी.

स्वयं तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए**,** या यौन कृत्य में संलग्न होने के महिला के निर्णय के साथ सीधा संबंध होना चाहिए।

(बल दिया गया**)**

12. वर्तमान मामले में, जिस मुद्दे को उच्च न्यायालय द्वारा संबोधित किया जाना था, वह यह था कि क्या यह मानते हुए कि आरोप पत्र में सभी आरोप सही हैं, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया था।मान लीजिए, अपीलार्थी और दूसरा प्रत्यर्थी 2013 से दिसंबर 2017 तक सहमति से संबंध में थे।वे दोनों शिक्षित वयस्क हैं।इस अवधि के दौरान, दूसरे प्रत्यर्थी ने 12 जून 2014 को किसी और से शादी कर ली।विवाह 17 सितंबर 2017 को आपसी सहमति से तलाक के फरमान में समाप्त हुआ।दूसरे प्रत्यर्थी के आरोपों से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी के साथ उसका संबंध उसकी शादी से पहले, शादी के निर्वाह के दौरान और आपसी सहमति से तलाक देने के बाद भी जारी रहा।

सी.

डी.

ई.

13. इस पृष्ठभूमि में और शिकायत में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को एफ. आई. आर. या आरोप पत्र में खोजना असंभव है। जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया जाना है, वह यह है कि क्या आरोपों से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी ने दूसरे प्रत्यर्थी से शादी करने का वादा किया था, जो शुरुआत में गलत था और जिसके आधार पर दूसरे प्रत्यर्थी को यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया गया था।एफ. आई. आर. और आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 375 के तहत अपराध के महत्वपूर्ण तत्व अनुपस्थित हैं।दोनों पक्षों के बीच संबंध विशुद्ध रूप से सहमति की प्रकृति के थे।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह संबंध दूसरे प्रत्यर्थी की शादी से पहले अस्तित्व में था और शादी की अवधि के दौरान बना रहा और दूसरे प्रत्यर्थी को आपसी सहमति से तलाक दिए जाने के बाद भी बना रहा।

एफ.

जी.

14. उच्च न्यायालय ने अपने फैसले के दौरान केवल यह कहा है कि विवाद तथ्य का सवाल उठाता है जिस पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन में विचार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि दिखाया गया है।

एच.

उपरोक्त विश्लेषण में, जो तथ्य विवादित नहीं हैं, वे इंगित करेंगे कि भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 के तहत अपराध के तत्व साबित नहीं किए गए थे।इसलिए, उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से गलत धारणा के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया है।

15. हम, तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और 2018 की धारा 482 संख्या 33999 के तहत आवेदन में 5 अक्टूबर 2018 के उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर देते हैं।दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन तदनुसार स्वीकृत

होगा।2018 का मामला अपराध संख्या 11 पुलिस स्टेशन रसरा, जिला बलिया में दर्ज किया गया, उपरोक्त मामले में 23 अप्रैल 2018 का आरोप पत्र और अतिरिक्त अदालत में 2018 के आपराधिक मामले संख्या 785 में 24 मई 2018 का आदेश।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम), बलिया आरोप-पत्र का संज्ञान लेते हुए तदनुसार रद्द कर दिया जाएगा।

बी.

सी.

16. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

डी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.